न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी :आशाराम डूडी, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 50/2016

अपीलांट

1. मोटाराम पुत्र स्वर्गीय मानाराम जी जाति जगवा चोधरी निवासी दांतीवाडा, तहसील बाली जिला पाली।

बनाम

रेस्पोडेन्ट

1. कूपाराम पुत्र मूलाराम जी जाति जगवा चौधरी निवासी दांतीवाडा, तहसील बाली जिला पाली।
2. कूपाराम पुत्र मुलाराम जी जाति जगवा चौधरी निवासी दांतीवाडा, तहसील बाली व जिला पाली।

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–

श्री हिम्मतसिंह राजपुरोहित, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट

श्री नवीन दवे, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्टगण

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

–: निर्णय :–

दिनांकः– 07.06.2019

अपीलान्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत सहायक कलक्टर बाली द्वारा राजस्व वाद संख्या 15/2016 में पारित निर्णय दिनांक 17.06.2016 के विरूद्ध पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वादग्रस्त आराजी मौजा ग्राम दांतीवाडा तहसील बाली के खसरा नंबर 82 रकबा 0.07 हैक्टेयर गैर मुमकिन सडा के संबध में प्रस्तुत कर प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा जारी करने का अनुतोष चाहा। जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के अन्तर्गत यह आदेशित किया गया है कि भू अभिलेख निरीक्षक मोखमपुरा पटवारी भीटवाडा मौके पर जाकर पैमाईश करेगे। तथा बाद पैमाईश यदि वादी द्वारा उसके कब्जा हिस्सा मे से एक फुट भूमि छोडा जाना प्रमाणित होता है तो

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

प्रतिवादीगण उक्त भूमि पर किसी प्रकार का निर्माण नहीं करेगे, एवं अगर अपीलांट द्वारा 1 फुट भूमि छोडना पैमाईश से साबित नहीं होता तो रेस्पोडेन्टगण निर्माण कार्य हेतु स्वतंत्र रहेगे, जिसमें रेस्पोडेन्टगण के निर्माण में अपीलांट किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगे। किन्तु बिना रिपोर्ट प्राप्त किये अधीनस्थ न्यायलय द्वारा जैर अपील निर्णय पारित किया है। अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दावा प्रस्तुत किया गया किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना तनकीयात कायम किये, साक्ष्य सुनवाई का अवसर दिये लोक अदालत कैम्प में जैर अपील निर्णय पारित किया है। जो कि विधिसम्मत नहीं है। अत अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर पत्रावली रिमांड की जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 08 ने अपील बहस करते हुए निवेदन किया कि अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वादग्रस्त आराजी मौजा ग्राम दांतीवाडा तहसील बाली के खसरा नंबर 82 रकबा 0.07 हैक्टेयर गैर मुमकिन सडा के संबध में प्रस्तुत कर प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा जारी करने का अनुतोष चाहा। जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में "भू अभिलेख निरीक्षक मोखमपुरा पटवारी भीटवाडा मौके पर जाकर पैमाईश करेगे। तथा बाद पैमाईश यदि वादी द्वारा उसके कब्जा हिस्सा मे से एक फुट भूमि छोडा जाना प्रमाणित होता है तो प्रतिवादीगण उक्त भूमि पर किसी प्रकार का निर्माण नहीं करेगे, एवं अगर अपीलांट द्वारा 1 फुट भूमि छोडना पैमाईश से साबित नहीं होता तो रेस्पोडेन्टगण निर्माण कार्य हेतु स्वतंत्र रहेगे, जिसमें रेस्पोडेन्टगण के निर्माण में अपीलांट किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगे।" सशर्त पत्रावली का निस्तारण किया है। एवं लोक अदालत में अपीलांट स्वंय के हस्ताक्षर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर मौजूद है। जिससे यह स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई का विधिवत अवसर देते हुए जैर अपील निर्णय पारित किया है। जो कि पूणर्तया विधिसम्मत है। अत अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

बहस पर मनन किया तथा दस्तावेजात् का अवलोकन किया। अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वादग्रस्त आराजी मौजा ग्राम दांतीवाडा तहसील बाली के खसरा नंबर 82 रकबा 0.07 हैक्टेयर गैर मुमकिन सडा के संबध में प्रस्तुत कर प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा जारी करने का अनुतोष चाहा। जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट ने यह स्वीकार किया है कि वादग्रस्त आराजी पर अपीलांट का 1/4 एवं रेस्पोडेन्टगण का 3/4 हिस्सा दर्ज है। किन्तु अपीलांट ने अपने हिस्से की 1 फुट भूमि हवा पानी के लिये अपीलांट ने

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

अपने स्वंय की छोडी है जिस पर रेस्पोडेन्ट द्वारा अडचन करने का हवाला देते हुए स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय के अन्तर्गत "भू अभिलेख निरीक्षक मोखमपुरा पटवारी भीटवाडा मौके पर जाकर पैमाईश करेगे। तथा बाद पैमाईश यदि वादी द्वारा उसके कब्जा हिस्सा मे से एक फुट भूमि छोडा जाना प्रमाणित होता है तो प्रतिवादीगण उक्त भूमि पर किसी प्रकार का निर्माण नहीं करेगे, एवं अगर अपीलांट द्वारा 1 फुट भूमि छोडना पैमाईश से साबित नहीं होता तो रेस्पोडेन्टगण निर्माण कार्य हेतु स्वतंत्र रहेगे, जिसमें रेस्पोडेन्टगण के निर्माण में अपीलांट किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगे।" सशर्त जैर अपील निर्णय पारित किया गया है। इसके अतिरिक्त जहां तक लोक अदालत कैम्प में निर्णय पारित करने का प्रश्न है तो अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर अपीलांट कूपाराम स्वंय के हस्ताक्षर है, जिससे यह स्पष्ट है कि अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष सुनवाई का पूर्ण अवसर दिया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए सशर्त जैर अपील निर्णय पारित किया गया है। जिसमें हम किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं पाते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील बलहीन होने से खारिज की जाती है। तथा सहायक कलक्टर बाली द्वारा राजस्व वाद संख्या 15/2016 में पारित निर्णय दिनांक 17.06.2016 यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपी के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 07.06.19 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(आशाराम डूडी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली